प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 846/2022

अनवान : –

1. महेन्द्रपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 16/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 107/96 की कुल 2.2770है0 भूमि व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 168/155 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 14 जेएसएन की 1.0120है0 भूमि में से 1 बीघा भूमि पर काबिज है तथा शेष भूमि व रोही मौजा 8 जेएसएन की भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 बहिब काबिज है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ... वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/राजीनामा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 107/96 की कुल 2.2770है0 भूमि व रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 168/155 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 107/96 की कुल 2.2770है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 168/155 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से 1 बीघा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम रखी जाती है तथा शेष भूमि का वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 846 / 2022
अनवान : –

1. महेन्द्रपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 846 सन 2022 निर्णय दिनांक 16.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 107 / 96 की कुल 2.2770है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 168 / 155 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से 1 बीघा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम रखी जाती है तथा शेष भूमि का वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:47 IST
Reason: SelfAttested